रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

No.....
Date.....
GOVT OF INDIA

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22, 1976/वैशाख 2, 1898

No. 197] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 1976/VAISAKHA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 22nd April 1976

S.O. 309(E)/18FB/IDRA/76.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 250(E)/18FB/IDRA/73 dated the 26th April, 1973 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of the sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951) declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than the liabilities relating the banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as the Hindustan Tractors Limited, Vishwamitri, Baroda or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from the date of issue of the said Order and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas by the orders of the Government of India in the Ministry of Industrial Development S.O. 261(E)/18FB/IDRA/74 dated the 24th April, 1974 and in the Ministry

of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) S.O. 173(E)/18FB/IDRA/75 dated the 9th April, 1975, the said order was extended for the period upto and inclusive of the 25th April, 1976;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period of one year from the 26th April, 1976.

[No. F. 4/1/73-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1976

का० आ० 309(अ)/18 एफ बी/आई डी आर ए/76.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 250 (अ)/18 एफ० बी०/आई० डी० आर० ए०/73, तारीख 26 अप्रैल, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त सभी संविदाएं, सम्पत्ति के हस्तान्तरणपत्र, करार, समझौते, पंचाट, स्थायी आदेश या अन्य लिखतें (जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सम्बद्ध दायित्वों से भिन्न हैं) जिसकी हिन्दुस्तान टैक्टर्स लिमिटेड के विश्वमित्र बड़ौदा नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम की स्वामी कोई कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे उपक्रम या कम्पनी पर लागू है उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक के लिए निलम्बित रहेंगे और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन उपगत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और भारत सरकार औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश का० आ० 261 (अ)/18 एफ बी/आई डी आर ए/74, तारीख 24 अप्रैल, 1974 और उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश का० आ० 173 (अ)/18 एफ बी/आई डी० आर ए/75, तारीख 9 अप्रैल, 1975 द्वारा उक्त आदेश 25 अप्रैल, 1976 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी जाये ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश का अवधि 26 अप्रैल, 1976 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[सं० फा० 4/1/73—सी यू सी]

दिनेश कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976